

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी- शक्तिसिंह भाटी, आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या :- 126/14 वाद

दायर दिनांक :- 12/12/2014

निर्णय दिनांक :- 21/06/2018

अनवान

1. शंकर लाल पिता जडावचन्द्र कुम्हार गिलूण्ड तहसील रेलमगरा

वादी

बनाम

1. गोपू पिता रामा कुम्हार गिलूण्ड तहसील रेलमगरा फौत के बजाय
- 1/1 - मु. धापू विधवा गोपीलाल कुम्हार निवासी गिलूण्ड तहसील रेलमगरा
- 1/2 - देवीलाल पिता गोपीलाल कुम्हार निवासी गिलूण्ड तहसील रेलमगरा
- 1/3 - लीला पिता गोपीलाल पत्नि सुरेशचन्द्र कुम्हार निवासी गिलूण्ड तहसील रेलमगरा
- 1/4 - सीमा पिता गोपीलाल कुम्हार निवासी गिलूण्ड तहसील रेलमगरा
- 1/5 - सुनिता पिता गोपीलाल कुम्हार निवासी गिलूण्ड तहसील रेलमगरा
2. जगदीश पिता रामा कुम्हार गिलूण्ड तहसील रेलमगरा
3. नाथू लाल पिता जडावचन्द्र कुम्हार गिलूण्ड तहसील रेलमगरा
4. शंकर पिता छोगा कुम्हार गिलूण्ड तहसील रेलमगरा
5. बद्रीलाल पिता रामचन्द्र कुम्हार गिलूण्ड तहसील रेलमगरा
6. प्रवीण पिता नानालाल कुम्हार गिलूण्ड तहसील रेलमगरा
7. पिन्दु पिता नानालाल कुम्हार गिलूण्ड तहसील रेलमगरा
8. जितेश पिता नानालाल कुम्हार गिलूण्ड तहसील रेलमगरा
9. सुगना पिता नानालाल कुम्हार गिलूण्ड तहसील रेलमगरा
10. बाबू पिता नानालाल कुम्हार गिलूण्ड तहसील रेलमगरा
11. सायरी पत्नि नानालाल कुम्हार गिलूण्ड तहसील रेलमगरा
12. भैरूलाल पिता चुना कुम्हार गिलूण्ड तहसील रेलमगरा
13. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा
14. विनोद कुमार पिता राधेश्याम सोनी गिलूण्ड तहसील रेलमगरा

प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन

- निर्णय -

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत विभाजन का प्रस्तुत किया कि वादी एवम प्रतिवादीगण के संयुक्त आधिपत्य की ग्राम गिलूण्ड के आराजी नंबर 2852, 2822, 2823, 2834, 2835, 2836 कुल किता 6 कुल रकबा 05 बीघा एव 2824, 2825, 2837 कुल किता 3 कुल रकबा 02-14 बीघा स्थित है। वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित भूमियों में वादी का 1/9 हिस्सा है। प्रतिवादी नाथू का 1/9 हिस्सा है एव प्रतिवादी गोपू का 1/18 हिस्सा है। प्रतिवादी जगदीश का 1/18 हिस्सा है। राजस्व अभिलेख में रामा पिता छोगा का नाम गलत अंकन कर रखा है। छोगा के दुसरे पुत्र का नाम शंकर है जबकि जमाबंदी में शंकर के बजाय रामा मिथ्या रूपेण अंकित है। रामा नाम का छोगा का पुत्र न होकर शंकर है। रामचन्द्र की

२/१०

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

मृत्यु हो चुकी है। वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित भूमियों में रामचन्द्र के वारिसान का 1/6 हिस्सा है। प्रतिवादी भैरूलाल का 1/3 हिस्सा है। राजस्व जमाबंदी में फेफी बेवा चुना का नाम अंकित चला आ रहा है। किन्तु फेफी की मृत्यु हो चुकी है। जिससे फेफी के उत्तराधिकारी भैरूलाल ही है। वादपत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित भूमियों में जमाबंदी में कोई हिस्सा अंकित नहीं है। रामचन्द्र की मृत्यु हो चुकी है एवं रामचन्द्र की पत्नि देउ व नानालाल की भी मृत्यु हो चुकी है। जिससे वादपत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित भूमियों में प्रतिवादी बद्रीलाल एवं नानालाल के उत्तराधिकारीगण का 1/3 हिस्सा है। प्रतिवादी नाथू का 1/9 हिस्सा है। वादी शंकर का 1/9 हिस्सा है एवं प्रतिवादीगण गोपू जगदीश का प्रत्येक का 1/18 हिस्सा है तथा प्रतिवादी भैरूलाल का 1/3 हिस्सा है।

वादी के एवं प्रतिवादी शंकरलाल के पिता छोगा जी एवं मृतक रामचन्द्र के वारिसान के नाम पर उसके हिस्से अनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा फरमायी जावे एवं फेफी के बजाय उसके उत्तराधिकारी भैरूलाल को खातेदार कृषक घोषित फरमाया जावे। वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादपत्र की कलम संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमियों में हिस्से अनुसार विभाजन कराया जाकर वादी को स्वतंत्र आधिपत्य दिलाया जावे। राजस्व अभिलेख में अंकन कराया जावे तथा वादी को स्वतंत्र आधिपत्य दिलाया जावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01, 03 से लगायत 12 तक बावजूद सुचना के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये, प्रतिवादी संख्या 13 के विरुद्ध कोई दाव नहीं चाही गयी है। प्रतिवादी संख्या 02 व 14 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया तथा उक्त दावे एवं जवाबदावे अनुसार तनकीयात विरचित की गई पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी के नियत थी। वादी गवाह शंकरलाल का शपथ पत्र प्रस्तुत किया कि प्रकरण को राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार-2018 के तहत ग्राम पंचायत गिलुण्ड पर रखा गया। दौराने शिविर अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी ने उपस्थित होकर मिट्स एण्डस बोण्डस पद्धति के आधार पर विभाजन हेतु सहमति दी गई। जिस पर तहसीलदार रेलमगरा को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के आदेश दिये गये। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर उपस्थित पक्षकाराने सहमति जाहिर की गयी। विभाजन प्रस्ताव निम्नानुसार है :-


क्र०स०	खातेदार का नाम	आराजी नंबर	रकबा	लगान
1.	रामचन्द्र शंकर पिता छोगा रामा रामचन्द्र पिता छोगा कुम्हार सा०देह० हि० ब० खातेदार	2824/1 2824 मीन 2822 2834	0-12 00-09-10 0-18 0-12	3.02 2.61 4.54 3.02
	योग	किता - 4	02-11-10	13.19
2.	भैरूलाल शंकरी देवी शान्ति देवी बदाम देवी पिता चुन्नीलाल कुम्हार सा०देह० हि० ब० खातेदार	2821/2 2824 मीन 2825 मीन 2823 2835 2836 मीन	0-01-10 0-07 0-05 1-00 0-12 0-06	0.41 1.93 1.38 5.50 3.30 1.65
	योग	किता - 6	02-11-10	14.17

२।०
सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)

3.	देवीलाल , लीला, सीमा, सुनीता पिता गोपू धापूबाई पति स्व० गोपू 1/2 जगदीश पिता रामा 1/2 कुम्हार सा०देह० खातेदार	2821 /1	0-12	03.30
		2836 /2	0-05	1.38
	योग	किता -2	00-17	04.68
4.	शंकर पिता जडाव कुम्हार सा०देह० खातेदार	2824 /3	00-03	0.82
		2825 /2	00-03	0.83
		2537 /1	00-11	3.03
	योग	किता - 3	00-17	04.68
5.	सत्यनारायण पिता नाथूलाल देउबाई पति स्व० नाथूलाल कुम्हार सा०देह० हि० ब० खातेदार	2824 /2	00-03-00	0.83
		2825 /1	00-03-00	0.82
		2836 /1	00-04	01-10
		2837 मीन	00-07	01-92
	योग	किता -4	00-17	4.67

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रेकार्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावें तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। पूर्वानुसार रहन यथावत रखा जावें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 21/06/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर कैम्प गिलुण्ड पर सुनाया गया।


 शक्ति सिंह भाटी
 सहायक कलक्टर
 (उप खण्ड अधिकारी)
 रेलमगरा

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द
पीठासीन अधिकारी :- शक्ति सिंह भाटी आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या :- 126/2014

वादी पक्ष :-

1. शंकर लाल पिता जडावचन्द्र कुम्हार गिलूण्ड तहसील रेलमगरा

बनाम

प्रतिवादीपक्ष :-

1. गोपू पिता रामा कुम्हार गिलूण्ड तहसील रेलमगरा फौत के बजाय
- 1/1 - मु. धापू विधवा गोपीलाल कुम्हार निवासी गिलूण्ड तहसील रेलमगरा
- 1/2 - देवीलाल पिता गोपीलाल कुम्हार निवासी गिलूण्ड तहसील रेलमगरा
- 1/3 - लीला पिता गोपीलाल पत्नि सुरेशचन्द्र कुम्हार निवासी गिलूण्ड तहसील रेलमगरा
- 1/4 - सीमा पिता गोपीलाल कुम्हार निवासी गिलूण्ड तहसील रेलमगरा
- 1/5 - सुनिता पिता गोपीलाल कुम्हार निवासी गिलूण्ड तहसील रेलमगरा
2. जगदीश पिता रामा कुम्हार गिलूण्ड तहसील रेलमगरा
3. नाथू लाल पिता जडावचन्द्र कुम्हार गिलूण्ड तहसील रेलमगरा
4. शंकर पिता छोगा कुम्हार गिलूण्ड तहसील रेलमगरा
5. बद्रीलाल पिता रामचन्द्र कुम्हार गिलूण्ड तहसील रेलमगरा
6. प्रवीण पिता नानालाल कुम्हार गिलूण्ड तहसील रेलमगरा
7. पिन्दु पिता नानालाल कुम्हार गिलूण्ड तहसील रेलमगरा
8. जितेश पिता नानालाल कुम्हार गिलूण्ड तहसील रेलमगरा
9. सुगना पिता नानालाल कुम्हार गिलूण्ड तहसील रेलमगरा
10. बाबू पिता नानालाल कुम्हार गिलूण्ड तहसील रेलमगरा
11. सायरी पत्नि नानालाल कुम्हार गिलूण्ड तहसील रेलमगरा
12. भैरूलाल पिता चुना कुम्हार गिलूण्ड तहसील रेलमगरा
13. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा
14. विनोद कुमार पिता राधेश्याम सोनी गिलूण्ड तहसील रेलमगरा

दावा :- विभाजन

वादी की ओर से :- सी.एस. शक्तावत

प्रतिवादी की ओर से :- एस.एल. जाट

में इस आशय मे दिनांक 21.06.2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है वादी का वाद विभाजन का स्वीकार किया जाकर ग्राम गिलूण्ड के आराजी नंबर 2852, 2822, 2823, 2834, 2835, 2836 कुल किता 6 कुल रकबा 05 बीघ एव 2824, 2825, 2837 कुल किता 3 कुल रकबा 02-14 बीघा का तहसीलदार रेलमगरा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार विभाजन किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निम्नानुसार है :-

क्र०स०	खातेदार का नाम	आराजी नंबर	रकबा	लगान
1.	रामचन्द्र शंकर पिता छोगा रामा रामचन्द्र पिता छोगा कुम्हार सा०देह० हि० ब० खातेदार	2824 / 1 2824 मीन	0-12 00-09-10	3.02 2.61


२१०
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

		2822	0-18	4.54
		2834	0-12	3.02
	योग	किता - 4	02-11-10	13.19
2	भैरूलाल शंकरी देवी शान्ति देवी बदाम देवी पिता चुन्नीलाल कुम्हार सा0देह0 हि0 ब0 खातेदार	2821/2	0-01-10	0.41
		2824 मीन	0-07	1.93
		2825 मीन	0-05	1.38
		2823	1-00	5.50
		2835	0-12	3.30
		2836 मीन	0-06	1.65
	योग	किता - 6	02-11-10	14.17
3	देवीलाल , लीला, सीमा, सुनीता पिता गोपू धापूबाई पति स्व0 गोपू 1/2 जगदीश पिता रामा 1/2 कुम्हार सा0देह0 खातेदार	2821/1	0-12	03.30
		2836/2	0-05	1.38
	योग	किता -2	00-17	04.68
4	शंकर पिता जडाव कुम्हार सा0देह0 खातेदार	2824/3	00-03	0.82
		2825/2	00-03	0.83
		2537/1	00-11	3.03
	योग	किता - 3	00-17	04.68
5	सत्यनारायण पिता नाथूलाल देउबाई पति स्व0 नाथूलाल कुम्हार सा0देह0 हि0 ब0 खातेदार	2824/2	00-03-00	0.83
		2825/1	00-03-00	0.82
		2836/1	00-04	01-10
		2837 मीन	00-07	01-92
	योग	किता -4	00-17	4.67

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रेकार्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावे तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। पूर्वानुसार रहन यथावत रखा जावे। पालनार्थ वहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

आज दिनांक 21/06/2018 को न्यायलय की मोहर एवम् मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।




 (शक्ति सिंह भाटी)
 सहायक कलक्टर
 (उप खण्ड अधिकारी)
 रेलमगरा